ई-1772168

संख्या-01/2024/50/52-1-2024-09(पी0एम0जे0वी0के0)/2023

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2024

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत प्राथमिकता पर पूर्ण की जाने वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) एस0एन0ए0 से आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4531/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन0मांग-330(4) दिनांक 22.12.2023 एवं पत्र सं0-4378/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन0मांग(330/4)/2022 दिनांक 14.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा विषयांकित परियोजनाओं की केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एस0एन0ए0 खाते से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की केन्द्रांश की धनराशि **रू0 3353.722 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रू0 2651.574 लाख अर्थात कुल रू0 6005.296 लाख (रूपये साठ करोड़ पॉच लाख उन्तीस हजार छः सौ मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्न विवरणानुसार एस0एन0ए0 पूल फण्ड से आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान जाती है:-

http://snsanadesh.up.gov.in

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	यूनिट	अनुमोदित लागत	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना हेतु अब तक निर्गत कुल धनराशि (के0+रा0)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि		
							केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**रामपुर**	वि0ख0 बिलासपुर में कॉमन सर्विस सेन्टर का निर्माण	**1**	140.000	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	42.000	25.200	16.800	42.000
2	**सन्तकबीर नगर**	वि0ख0 बघौली एवं सेमरियावां में कामन सर्विस सेन्टर का निर्माण	**2**	280.000	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	84.000	50.400	33.600	84.000
3	**बाराबंकी**	सिरौली गौसपुर में कामन सर्विस सेन्टर का निर्माण	**1**	140.000	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	42.000	25.200	16.800	42.000
4	**सिद्धार्थनगर**	नौगढ में कामन सर्विस सेन्टर का निर्माण	**1**	140.000	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	42.000	25.200	16.800	42.000
5	**प्रतापगढ्**	राजकीय डिग्री कालेज गावी महुआवन	**1**	1078.660	**आवास विकास परिषद**	539.330	161.799	107.866	269.665
6	**मेरठ**	विकास खण्ड-परीक्षित गढ् के बाली में राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण	**1**	1078.660	**उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम (यू0पी0 सिडको)**	431.461	0.000	107.866	107.866
7	**मेरठ**	विकास खण्ड-मेरठ के महरौली में राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण	**1**	1078.660	**उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम (यू0पी0 सिडको)**	539.330	161.799	107.866	269.665
8	**देवरिया**	वि0ख0-डिगवा पौटवा पूर्व नाम बरवामीर छापर में रा0आई0टी0 आई0 का निर्माण	**1**	1260.000	**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0**	630.000	189.000	126.000	315.000
9	**मऊ**	मऊ में राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण	**1**	1260.000	**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0**	630.000	189.000	126.000	315.000
10	**मेरठ**	वि0ख0 खरखौंदा के आई0टी0आई0 का आधुनिकीकरण (माडर्नाइजेशन)	**1**	518.820	**उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम (यू0पी0 सिडको)**	259.410	155.646	103.764	259.410
11	**रामपुर**	विकास खण्ड-बिलासपुर के कमुआनंगला में राजकीय इण्टर कालेज	**1**	458.220	**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0**	229.110	137.466	91.644	229.110

http://shasanadesh.up.gov.in

12	**रामपुर**	विकास खण्ड-बिलासपुर के बेगमाबाद में राजकीय इण्टर कालेज	**1**	458.220	**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0**	229.109	137.461	91.650	229.111
13	**रामपुर**	वि0ख0 बिलासपुर के ग्राम पदपुरी में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण	**1**	458.220	**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0**	229.104	137.466	91.650	229.116
14	**रामपुर**	बिलासपुर, सदनागढ़, मिलक, साहाबाद एवं स्वार में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण	**6**	2508.660	**उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0**	1254.330	752.598	501.732	1254.330
15	**रामपुर**	राजकीय इण्टर कालेज शाहाबाद	**1**	482.700	**उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0**	241.350	144.810	96.540	241.350
16	**रामपुर**	राजकीय इण्टर कालेज सैदनगर	**1**	482.700	**उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0**	241.350	144.810	96.540	241.350
17	**श्रावस्ती**	हरिहरपुर रानी में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण	**1**	418.110	**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0**	209.057	125.4318	83.6212	209.0530
18	**बस्ती**	विकास खण्ड-रामनगर के कोहाड़ी में पेयजल आपूर्ति योजना	**1**	139.800	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	69.900	34.950	34.950	69.900
19	**बागपत**	बागपत के पीलाना के दौलतपुर कनवारा में पाइप पेयजल योजना	**1**	119.080	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	59.540	29.770	29.770	59.540
20	**बागपत**	बागपत के बनौली के नागलारावा में पाइप पेयजल योजना	**1**	132.640	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	66.320	33.160	33.160	66.320
21	**बागपत**	विकास खण्ड-छपरौली के राठौरा में पेयजल आपर्ति योजना	**1**	299.920	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	149.960	74.980	74.980	149.960
22	**बागपत**	बागपत के चपरौली के तूगाना में पाइप पेयजल योजना	**1**	326.280	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	163.140	81.570	81.570	163.140
23	**बुलन्दशहर**	विकास खण्ड-बुलन्दशहर के सुतारी में पेयजल आपूर्ति योजना	**1**	187.900	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	93.960	46.980	46.980	93.960
24	**मेरठ**	मेरठ के खरखौदा में साफियाबाद लोती में पाइप पेयजल योजना	**1**	289.740	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	144.870	72.435	72.435	144.870
25	**सिद्धार्थनगर**	वि0ख0 शोहरतगंज के ग्रा0 जमुनी में पेयजल योजना	**1**	136.420	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	68.210	34.105	34.105	68.210

http://shasanadesh.up.gov.in

26	**सिद्धार्थनगर**	वि0ख0 खुनियाव के ग्रा0 बढ़या में पेयजल योजना	**1**	142.040	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	71.020	35.510	35.510	71.020
27	**सिद्धार्थनगर**	वि0ख0 इटवा के ग्रा0 भदोखर भदोखरी में पेयजल योजना	**1**	163.540	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	81.770	40.885	40.885	81.770
28	**सिद्धार्थनगर**	वि0ख0 डुमरियागंज के ग्रा0 कादिराबाद में पेयजल योजना	**1**	173.160	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	86.580	43.290	43.290	86.580
29	**रामपुर**	वि0ख0 सैदनगर के ग्रा0 खोंद में पेयजल आपूर्ति योजना	**1**	343.440	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	171.720	85.860	85.860	171.720
30	**रामपुर**	वि0ख0 शाहाबाद के ग्रा0 ओसी में पेयजल आपूर्ति योजना	**1**	358.440	**उ0प्र0 जल निगम लि0**	179.220	89.610	89.610	179.220
31	**सहारनपुर**	पुवारका गन्देवा में पेयजल आपूर्ति योजना	**1**	467.400	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	95.830	46.735	91.135	137.870
32	**सहारनपुर**	पुवारका कुसुबपुर कुसानी में पेयजल आपूर्ति योजना	**1**	162.380	**उ0प्र वक्फ विकास निगम**	81.190	40.595	40.595	81.190
योग			**38**				**3353.722**	**2651.574**	**6005.296**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(3)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(4)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपरोक्त तालिका के कॉलम-6 में अंकित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(10) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12)- पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(14) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(15) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(19) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(21) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(22) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश **दिनांक 17.03.2023** एवं में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।

(23) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(24) अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(25) अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-50(1)/बावन-1-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. उपरोक्त तालिका के कॉलम-6 में अंकित कार्यदायी संस्था के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य समयान्तर्गत/गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सम्बन्धित विभाग।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in